न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :– 45/2017

बउनवान

बाबूलाल आयु 40 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति जाटव निवासी देहरी तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

चन्द्रकला बाई पत्नि राजेन्द्र जाति जाटव निवासी फतेहपुर तहसील बारॉ जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इन्तकाल नंबर 1352 दि. 17.6.2016 वाके ग्राम चाचोडा तहसील छबडा के अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री मदनलाल गालव अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 28.6.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 1352 दिनांक 17.06.2016 वाके ग्राम चाचोडा तहसील छबडा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 30.8.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि खसरा नम्बर 142 की रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 148 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 169 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा वाके माल चाचोडा तहसील छबडा जिला बारॉ (राज.) मे स्थित है। जिसका कि इकरारनामा खातेदार सावित्रीबाई ने एवं रामभरोस ने दिनांक 09.06.1993 को आलेखित है कथन करते हुए कहा कि अपीलांट के पिता प्रभूलाल पुत्र श्योजीराम जाति जाटव निवासी ग्राम देहरी 20–25 वर्षो से खसरा नम्बर 142 की रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 148 की रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा को खातेदार बाबूलाल विक्रय कर गये थे और उसी समय से कब्जा काश्त खरीददार प्रभूलाल का आज तक कब्जा चला आ रहा है, खसरा नम्बर 142 व 148 के पैठे हमने श्री प्रभूलाल को नगद रूपए प्राप्त कर लिये है। इस हमारे जिम्मे प्रभूलाल के 29,000/– रूपए बाकी है, चूकाने के लिए हम प्रभूलाल की खसरा नम्बर 142 व 141 वाके ग्राम चाचोडा को 30,000/– रूपये मे विक्रय करते है और लिखके देते है कि हमने 29000/– रूपये हमने क्रेता प्रभूलाल से प्राप्त कर

लिऐ है और शेष 1,000/– रूपये वक्त रजिस्ट्री प्राप्त कर लिए है, रजिस्ट्री कराने व विक्रय पत्र की कोई मियाद हम विक्रेतागण ने तय नही है, दस्तावेज विक्रय पत्र की रजिस्ट्री 10–15 वर्षो से कभी भी क्रेता प्रभूलाल हमसे करा लेगे। अब क्रेता उक्त भूमि पर काश्त करे या करावे हमे कोई आपत्ति नही होगी।

यह कि दिनांक 09.06.1993 को खातेदार सावित्रीबाई ने व रामभरोस ने इकरारनामा आलेखित कर कथन किया है, कि 20–25 वर्ष पूर्व खातेदार बाबूलाल स्वंय उक्त आराजी को अपीलांट के पिता प्रभूलाल को विक्रय कर चुके है। अतः खातेदार के कथनो से यह स्पष्ट होता है कि यह आराजी लगभग 40–50 वर्षो से अपीलांट व अपीलांट के पिता प्रभूलाल के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। यह कि जब किसी आराजी पर खातेदार का कब्जा नही होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा होता तो ऐसी स्थिति मे वह आराजी कानूनन न तो विक्रय हो सकती है ना ही विक्रय उपरांत उस पर नामान्तरकरण तस्दीक हो सकता है।

उक्त आराजी का विक्रय पत्र दिनांक 8.10.2015 को तस्दीक हुआ है वह भी कानूनन गलत तस्दीक हुआ है, क्योकि कब्जे के अभाव मे आराजी बेचान योग्य नही है एवं विक्रय पत्र का भी नामान्तरकरण भी कानूनन जब भी तस्दीक किया जा सकता है, जबकि कब्जे की वास्तविक रिपोर्ट राजस्व कर्मचारी द्वारा प्राप्त नही ली गई हो और यह सामने आवे कि वास्तविक रूप से आराजी पर कौन काबिज है एवं दौराने दावा भी किसी आराजी को ना तो बेचान किया जा सकता है ना ही उस पर नामान्तरकरण तस्दीक किया जा सकता हैं।

उक्त आराजी के बारे मे ना तो विक्रय पत्र तस्दीक करते समय और ना ही नामान्तरकरण खोलते समय कब्जे बाबत रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को नोटिस देकर कि जानकारी ली गई है, कि वर्तमान मे उक्त आराजी पर कौन काबिज है बिना रिपोर्ट कब्जा बाबत् लिए ही विक्रय पत्र तस्दीक कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है। उक्त नामान्तरकरण वाइड ऐबिनियों इन ला है, उक्त कारण से इंतकाल नम्बर 1352 निरस्त होने योग्य हैं

उक्त आराजी बाबत एक वाद माननीय न्यायालय एस.डी.ओ. छबडा मे विचाराधीन है, वाद के चलते किसी भी आराजी का बैचान किया जाना कानूनन प्रतिबंधीत है, कानून के विरूद्व जाकर विक्रय पत्र तस्दीक किया है एवं उसके आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है जो स्वतः ही निरस्त होने योग्य हैं। अपील श्रीमान के क्षेत्राधिकारी एवं श्रवणाधिकार मे है। अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र डिले कन्डोन कर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। उक्त इंतकाल की जानकारी अपीलांट को दिनांक 12.7.2017 को हुई। अतः जानकारी की अवधि से दिनांक 12.7.2017 से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है एवं वाई वाइड ऐबिनोयो आदेश को निरस्त कराने के लिए मियाद भी नही है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल नम्बर 1352 दिनांक 17.6.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि तहसीलदार छबडा द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे तस्दीक किया गया इन्तकाल नम्बर 1352 दिनांक 17.06.2016 वाके ग्राम चाचोडा तहसील छबडा नियमानुसार विधी अनुरूप तस्दीक किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा इंतकाल नम्बर 1352 दिनांक 17.06.2016 वाके ग्राम चाचोडा तस्दीक किया गया है। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त आराजी का इकरारनामा खातेदार सावित्रीबाई ने एवं रामभरोस ने दिनांक 09.06.1993 को अपीलांट के पक्ष मे आलेखित किया जाना इस न्यायालय को अवगत करवाया गया है। उक्त इकरारनामे को सुने जाने का इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नही है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक के कथनो से हम पूर्णतया सहमत है।

अतः अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अपीलांट सक्षम न्यायालय मे चाराजोही किये जाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारा